न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2023 (उदयपुर डिक्री)

देवस्थान विभाग, उदयपुर खण्ड, उदयपुर जरिये निरीक्षक, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नृसिंह दारा मीठाराम जी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाब बाग के पास, रावजी का हाटा, उदयपुर जरिये महन्त श्री रामचन्द्रदास
2. मगना पिता उंकार जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक) के विधिक वारिसान :–

2/1. पुरीलाल पिता स्वर्गीय मगना जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. चन्द्रशेखर पिता स्वर्गीय मगना जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती सकुबाई पत्नी स्वर्गीय मगना जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. पुरीलाल पिता स्वर्गीय मगना जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल जी मेहता, निवासी 98/113, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
4. महेशचन्द्र पिता मदन मोहन जी शर्मा, निवासी 123, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
5. धर्मपाल पिता लक्ष्मीलाल जी डेम्बला, निवासी सुगन्ध, मीरा होटल वाली गली के अन्दर, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)
6. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
17–04–2007 प्रकरण सं0 2/2007

———/———

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार मीणा, निरीक्षक देवस्थान विभाग
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 2/1 से 2/4

———::———

निर्णय **दिनांक 14–02–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शोभागपुरा में आराजी नंबर 964 से 968, 973 से 975, 981 से 989, 994 से 997 कुल किता 21 रकब 3.5700 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी आधिपत्य की होकर वादी शाश्वत नाबालिग है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु प्रतिवादीगण की नियत बिगड़ जाने से वादी की आराजियात पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा पत्थर डालकर रोड़ बनाने पर उतारू हैं व निर्माण कार्य कराने हेतु नींवे खोदनी शुरू कर दी है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजीयात से वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा है, बल्कि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व आधिपत्य की होकर उनके उपयोग–उपभोग में चली आ रही है तथा उसे अपने हक अधिकार की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाने का पूरा अधिकार है। विशेष कथन में अंकित किया कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है, ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथन में बताया कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः कब्जे के अभाव में वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजीयात से वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा है, बल्कि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व आधिपत्य की होकर उनके उपयोग–उपभोग में चली आ रही है तथा उसे अपने हक अधिकार की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाने का पूरा अधिकार है। काउण्टर क्लेम में निवेदन किया कि विवादित आराजियात के साबिक आराजी नंबर 510, 511, 512, 518, 521, 524 है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी आधिपत्य की होकर प्रतिवादी काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजियात में माफीदार नृसिंह दारा मीठाराम जी का मंदिर उदयपुर थे तथा ऊंकार पिता रतना डांगी इसके खड़मदार थे तथा माफी रिज्यूम होने के बाद माफीदार की जगह सरकार भूमिधारी हो गयी तथा खड़मदार की जगह ऊंकार पिता रतना डांगी खातेदार काश्तकार हो गये, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। सेटलमेन्ट विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 को बिना नोटिस दिये उक्त आराजियात पुनः वादी के नाम दर्ज कर दी, जो बिना अधिकार के है। सेटलमेन्ट विभाग को इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं है, वह केवल हस्तान्तरण, उत्तराधिकार या न्यायालय के आदेश से ही इन्द्राज परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे गलत इन्द्राज को दुरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में 5 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–04–2007 से वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 से रूष्ट होकर अपीलान्ट देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–03–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह द्वारा मीठाराम जी स्थान देह शहर उदयपुर के खातेदारी की भूमि है। उक्त मंदिर राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर होकर अपीलान्ट देवस्थान से संबंधित है, किन्तु उन्हें जानबूझकर बिना पक्षकार बनाये रेस्पोन्डेन्ट तथा महन्त रामचन्द्र दास ने आपस में मिली भगत कर डिक्री पारित करा ली है, जिसमें अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त प्रार्थना का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि देवस्थान विभाग की कभी नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि खड़मदारी की होने से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिससे अपीलान्ट किसी प्रकार से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट ने माननीय राजस्थान राज्य द्वारा राज्य स्तरीय समिति राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में अपील नहीं करने का दिनांक 30–12–2020 को सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 द्वारा धारा 151 जा.दी. के तहत प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 के विरूद्ध राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील[illegible] चौहान द्वारा क्रमशः

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2008/2007 एवं 266/2007 द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19–05–2008 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मगना द्वारा अपील संख्या 5085/2008 एवं 5086/2008 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 22–07–2009 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2008 को निरस्त कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 को यथावत रखा। राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध श्री नृसिंह द्वारा, अशोकसिंह चौहान एवं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02–11–2017 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय के विरूद्ध डी.बी. में सिविल अपीलें रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी जो डी.बी. द्वारा दिनांक 29–05–2020 को निरस्त कर दी गयी। जिस पर रिव्यू रिट पिटीशन संख्या 8/2021 अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा दायर की गयी जो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29–11–2021 को निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात् अशोकसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर स्पेशल अपील संख्या 10170/2020 दिनांक 29–05–2020 को निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार के रिवेन्यू विभाग व देवस्थान विभाग की राज्य स्तरीय समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डबल बैंच द्वारा पारित आदेश को स्वीकार एवं अंगीकार करते हुए उसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील नहीं करने का निर्णय क्रमशः दिनांक 30/12/2020 एवं 24/02/2022 को लिया गया। इस प्रकार उक्त भूमि बाबत् विवाद का निस्ता[illegible] से प्रारम्भ होकर माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

सर्वोच्च न्यायालय तक हो चुका है, फिर भी अपीलान्ट ने मनगढन्त आधारों पर अपील प्रस्तुत कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त अपील धारा 11 के प्रावधानों से बाधित होने से इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अतः अपील प्रारम्भिक स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 के विरूद्ध राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा एवं अशोक सिंह चौहान द्वारा अपीलें न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19–05–2008 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मगना द्वारा अपीलें न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 22–07–2009 को प्रतिवादी मगना की अपीलें स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2008 को अपास्त कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 को यथावत रखा। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी श्री नृसिंह द्वारा, अशोकसिंह चौहान एवं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 02–11–2017 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डबल बैंच में प्रस्तुत की गयी जो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा दिनांक 29–05–2020 को निरस्त कर दी गयी है। प्रकरण में एक रिव्यू रिट पिटीशन संख्या 8/2021 अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा दायर की गयी जो भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29–11–2021 को निरस्त कर दी। इसके अलावा राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

सरकार देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 18–02–2022 अनुसार, जो शासन सचिव देवस्थान विभाग की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें देवस्थान विभाग के आयुक्त, संयुक्त शासन सचिव, उप विधि परामर्शी एवं सहायक आयुक्त आदि सदस्य उपस्थित थे, उक्त बैठक में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–11–2021 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अपीलान्ट को अब अपील करने का ही अधिकार नहीं है। वैसे भी विवादित भूमि बाबत् विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णय हो चुका है, जिससे भी उक्त धारा 11 के प्रावधानों से बाधित है। तद्नुसार अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं है, जिससे अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

देवस्थान विभाग, उदयपुर खण्ड, उदयपुर जरिये निरीक्षक देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.) बनाम **नृसिंह द्वारा मीठाराम जी स्थान देह उदयपुर ठिकाना गुलाब बाग के पास, रावजी का हाटा उदयपुर जरिये महन्त रामचन्द्र दास व अन्य**

अपील नं॰.....**24 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....17**.....माह.....**04**.....**2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.14**....माह.....**.02**....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री सुनील कुमार मीणा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2007 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14.**.....माह.....**.02**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested